रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06102022-239390
CG-DL-E-06102022-239390

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 678]	नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 4, 2022/आश्विन 12, 1944
No. 678]	NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 4, 2022/ASVINA 12, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अक्तूबर, 2022

सा.का.नि. 762(अ).—केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित प्रारूप नियम, जिसे केंद्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 64 की (क), (घ) और (त) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करती है, को उक्त अधिनियम की धारा 212 की उप-धारा (1) द्वारा यथापेक्षित उनके द्वारा संभाव्य प्रस्तावित सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है और नोटिस दिया जाता है कि उक्त प्रारूप नियमों पर उस तारीख से जब इस अधिसूचना की प्रतियां, भारत के राजपत्र में यथाप्रकाशित, आम जनता को उपलब्ध कराई जाती हैं, से तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात विचार किया जाएगा।

आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हों, संयुक्त सचिव (एमवीएल), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, 1, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 को ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर भेजे जा सकेंगे अथवा Email: comment-morth@gov.in; पर ई-मेल किए जा सकेंगे। इन प्रारूप नियमों के बारे में आक्षेप या सुझाव, जो किसी व्यक्ति से उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के भीतर प्राप्त किए जाते हैं, पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रारूप नियम

1. **संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ -** (1) इन नियमों को केन्द्रीय मोटर यान (... ... .. संशोधन) नियम, 2022 कहा जाएगा।

(2) इन नियमों में यथा निहित के अलावा, ये नियम आधिकारिक राजपत्र में अपने अंतिम प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्ति होंगे।

2. केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 में (इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में उल्लिखित), नियम 48 में, पहले परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात्:—

"बशर्ते कि वाहन स्वामी द्वारा स्वेच्छा से चुने गए बीएच श्रृंखला के तहत वाहन के पंजीकरण के लिए आवेदन राज्य के किसी भी पंजीकरण प्राधिकारी को किया जाएगा, जिसमें वाहन स्वामी का या तो स्थायी निवास या कार्य स्थान है पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा प्रारूप 60 या आधिकारिक पहचान पत्र, जैसा भी मामला हो, में कार्य प्रमाण पत्र के सत्यापन के बाद पोर्टल के माध्यम से स्वैच्छिक रूप से पंजीकरण चिन्ह जारी किया जायेगा।

3. उक्त नियमों में, नियम 51ख में, उपनियम (3) में, प्रथम परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

"बशर्ते कि यदि बीएच-श्रृंखला में पंजीकृत कोई वाहन, ऐसे व्यक्ति के नाम पर स्थानांतरित किया जाता है जो बीएच-श्रृंखला के लिए पात्र नहीं है, तो नियम 47 के उप-नियम (1) के खंड (सीए) या (सीबी) के अनुसार ऐसे वाहन संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में प्रचलित नियमित पंजीकरण श्रृंखला से नए पंजीकरण चिह्न के असाइनमेंट के लिए उत्तरदायी होंगे और ऐसे वाहन संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कराधान नियमों के अनुसार मोटर वाहन कर के लिए भी उत्तरदायी होंगे।

बशर्ते यह भी कि यदि बीएच-श्रृंखला में पंजीकृत वाहन को ऐसे व्यक्ति के नाम पर स्थानांतरित किया जाता है जो बीएच-श्रृंखला के लिए पात्र है, तो ऐसा वाहन बीएच श्रृंखला के तहत वैध रूप से पंजीकृत रहेगा, जब तक कि ट्रांसफरी बीएच श्रृंखला के लिए पात्र रहता है।

बशर्ते यह भी कि यदि किसी भी समय बीएच-श्रृंखला में पंजीकृत वाहन का मालिक, नियम 47 के उप-नियम (1) के खंड (सीए) और (सीबी) के अनुसार बीएच-श्रृंखला के लिए पात्र नहीं रहता है, तो ऐसा वाहन शेष अवधि जिसके लिए कर का भुगतान किया गया है के लिए बीएच श्रृंखला के तहत पंजीकृत रहेगा।"

4. उक्त नियमों में, नियम 51ख में, उप-नियम (3) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

"(4) यदि किसी भी समय, किसी भी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की नियमित श्रृंखला में पंजीकृत वाहन का मालिक नियम 47 के उप-नियम (1) के खंड (सीए) और (सीबी) के अनुसार बीएच-श्रृंखला के लिए पात्र हो जाता है और ऐसे वाहन का मालिक ऐसे वाहन के लिए बीएच-श्रृंखला में पंजीकरण चिह्न का विकल्प चुनता है, तो ऐसे वाहन के मालिक को राज्य के किसी भी पंजीकरण प्राधिकरण, जिसमें ऐसा वाहन वर्तमान में पंजीकृत किया गया या रखा गया है को बीएच-श्रृंखला में पंजीकरण चिह्न के समनुदेशन के लिए फॉर्म 27 ए में आवेदन करना होगा।

बीएच-सीरीज में पंजीकरण चिह्न के समनुदेशन पर, ऐसे वाहन के मालिक उप नियम (3) के अनुसार कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे।"

5. उक्त नियमों में, प्रपत्र 27 के पश्चात्, निम्नलिखित प्रपत्र अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

"प्रारूप 27 क "

[नियम 51बी (4) देखें]

बीएच-श्रृंखला में नए पंजीकरण चिह्न के समनुदेशन के लिए आवेदन

सेवा में,

रजिस्टरकर्ता प्राधिकारी,

....

मैं/हम.. का पुत्र/ की पत्नी /की पुत्री मोटर यान संख्याक………………………………… चैसिस संख्या........................ [इंजन संख्या या बैटरी चलितयानों के मामले में मोटर संख्या]......................यान का प्रकार.................. का/के रजिस्ट्रीकृत स्वामी होने के नाते ....……………………एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मैं अपने वाहन का बीएचश्रृंखला में रजिस्ट्रीकरण कराने के लिए पात्र हूं।

मैं एतद्वारा घोषणा करता हूं कि रजिस्ट्रीकरण दिनांक ……………………… तक विधिमान्य है और यह इस अधिनियम के उपबंधो के अधीन निलंबित या रद्द नहीं किया गया है।

मैं इस मोटर यान के रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र संलग्न करता हूं/करते हैं।

मैं प्रारूप 60 या आधिकारिक पहचान पत्र में अपना कार्य प्रमाण पत्र संलग्न करता हूं ।

यान अवक्रय करार/पट्टा करार /उपप्राधीयन के समझौते के अध्याधीन नहीं है ।

यान .... के साथ किए गए अवक्रय करार/ पट्टा करार / उपप्राधीयन के समझौते के अध्याधीन है और यदि वितपोषक द्वारा “अनापत्ति प्रमाण पत्र” स्वीकार/अस्वीकार कर दिया गया है। यदि वितपोषक द्वारा “अनापत्ति प्रमाण पत्र” स्वीकार/अस्वीकार कर दिया गया है, तो आवेदक को इस आवेदन के साथ धारा 51 की उप-धारा (8) की अपेक्षानुसार घोषणा फाइल करनी होगी।

मेरा मोबाइल नंबर ………………… और ईमेल (यदि है) ……………………………

दिनांक..........................

आवेदक के हस्ताक्षर /ई-हस्ताक्षर

6. उक्त नियमों में, प्रपत्र 60 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रपत्र प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

"प्रारूप 60"

[नियम 47(1) (सीए) देखें]

कार्य प्रमाणपत्र

सेवा में,

रजिस्टरकर्ता प्राधिकारी,

……………………………

……………………………

हम एतद्वारा घोषणा करते हैं कि श्री …………….............पुत्र/पुत्री……………............. स्थाई पता ………………………….. हमारी कंपनी/संगठन में …………………………… से काम कर रहा है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि हमारे चार राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों या उससे अधिक में कार्यालय हैं। हमारे संगठन का विवरण इस प्रकार है-

1. संगठन का नाम-
2. संगठन की पंजीकरण संख्या-
3. जीएसटी पंजीकरण संख्या-
4. पैन संख्या-
5. पता-
6. ईमेल पता -

कर्मचारी का विवरण इस प्रकार है-

1. कर्मचारी का रोजगार पहचान पत्र -
2. कर्मचारी का यूएएन (अद्वितीय खाता संख्या)-
3. कर्मचारी का मोबाइल नंबर-
4. कर्मचारी का ईमेल पता -
5. कर्मचारी का पैन संख्या-

आवेदक के हस्ताक्षर/ई-हस्ताक्षर

संगठन के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का पता

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का मोबाइल नंबर

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का पैन

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का ई-मेल पता

दिनांक ………………………….. आधिकारिक मुहर"

[फा. सं. आरटी -11036/48/2019-एमवीएल]

महमूद अहमद, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-।।, धारा 3, उप-धारा (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि………., दिनांक………….. द्वारा प्रकाशित की गई थी और अंतिम बार अधिसूचना सं. ....(अ)......दिनांकित .... द्वारा संशोधित की गई थी।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th October, 2022

G.S.R. 762(E).—The following draft rules further amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by clause (a), (d) and (p) of section 64 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) is hereby published as required by sub-section (1) of Section 212 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of a period of thirty days from the date on which the copies of this notification as published in the Gazette of India, are made available to the public.

Objections or suggestions, if any, may be sent to the Joint Secretary (MVL), Ministry of Road Transport and Highways, Transport Bhawan, Parliament Street, New Delhi-110 001, Email: comments-morth@gov.in. Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period aforesaid will be considered by the Central Government;

DRAFT RULES

1. **Short title and commencement**. - (1) These rules may be called as the Central Motor Vehicles (………………. Amendment) Rules, 2022.

(2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989 (herein after referred as the said rules), in rule 48, for the first proviso, the following proviso shall be substituted, namely: -

"Provided that application for registration of vehicle under BH series, opted voluntarily by the vehicle owner, shall be made to any registering authority of the state, in which the vehicle owner has either permanent residence or place of work and the registration mark shall be generated randomly through the portal after verification of working certificate in Form 60 or Official identity card, as the case may be, by the registering authority."

3. In the said rules, in rule 51B, in sub-rule (3), after first proviso, the following provisos shall be inserted, namely: -

"Provided further that if a vehicle registered in BH-Series, is transferred in the name of such person who is not eligible for BH-Series, as per clause (ca) or (cb) of sub-rule (1) of rule 47, then such vehicle shall be liable for assignment of new registration mark from regular registration series

prevailing in the concerned State/UT and such vehicle shall also be liable for motor vehicle tax as per the taxation rules of concerned State/UT.

Provided also that if a vehicle registered in BH-Series, is transferred in the name of such person who is eligible for BH-Series, then such vehicle shall continue to be validly registered under BH series so long as transferee remains eligible for BH series.

Provided also that if at any time owner of vehicle registered in BH-Series, ceases to be eligible for BH-Series, as per clause (ca) and (cb) of sub-rule (1) of rule 47, then such vehicle shall continue to be registered under BH series for the remaining period for which tax has been paid."

4. In the said rules, in rule 51B, after sub-rule (3), following sub-rule shall be inserted, namely:

"(4) if at any time, owner of vehicle registered in regular series of any State/UT becomes eligible for BH-Series as per clause (ca) and (cb) of sub-rule (1) of rule 47 and owner of such vehicle opts for registration mark in BH-Series for such vehicle, then owner of such vehicle shall apply in Form 27A for assignment of registration mark in BH-Series to any registering authority of the state in which such vehicle is currently registered or placed.

On assignment of registration mark in BH-Series, the owner of such vehicle shall be liable to pay tax as per sub rule (3)."

5. In the said rules, after Form 27, following Form shall be inserted, namely:

"FORM 27A

[See rule 51B (4)]

Application for assignment of new registration mark in BH-Series

To

The Registering Authority,

.... I/We...son/wif e/daughter of

.... being the Registered Owner of Motor Vehicle No... bearing Chassis No..

[Engine number or motor number in the case of Battery Operated Vehicles] Type of vehicle.. hereby declare that I am eligible for getting my vehicle registered in BH-Series.

I hereby declare that the registration is valid up ……………………………………….and it has not been suspended or cancelled under the provisions of this Act.

I enclose the certificate of registration of this motor vehicle.

I enclose my working certificate in Form 60 or official identity card.

*The vehicle is not subject to an agreement of hire-purchase/lease/hypothecation.

The vehicle is subject to an agreement of hire-purchase/lease/hypothecation with

.... and the NOC has been granted/refused by the Financier thereunder. If "No Objection Certificate" has been refused by the Financier, the applicant should file along with this application a declaration as required under sub-section (8) of section 51.

My mobile number is .... and email (if any) is …………………………………

Date..........................

Signature/ e-signature of the Applicant".

6. In the said rules, for Form 60, following Form shall be substituted, namely:

"Form 60

[See rule 47(1) (ca)]

Working Certificate

To

The Registering Authority,

…………………………….

…………………………….

We hereby declare that Shri ……………………… ………S/o/ D/o……………………. permanent address …………………………is working in our company/organization since……………………………. It is further to certify that we have offices in four States/UTs or more. Details of our organisation is as follows-

1. Name of organisation-
2. Registration number of organization-
3. GST registration number-
4. PAN-
5. Address-
6. E- mail address –

Details of employee is as follows-

1. Employment id of employee-
2. UAN (unique account number) of employee-
3. Mobile number of employee-
4. E- mail address of employee –
5. PAN of employee-

Signature /e-signature of the Applicant

Signature of the Authorised Signatory of the Organisation

Name of the Authorised Signatory

Address of the Authorised Signatory

Mobile number of the Authorised Signatory

PAN of the Authorised Signatory

E-mail address of the Authorised Signatory

Date…………………………….. official seal".

[F. No. RT-11036/48/2019-MVL]

MAHMOOD AHMED, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), vide notification number G.S.R…………, dated the ………… and last amended vide notification number …..…..(E), dated the …...

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA